

324/2023

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही अथ इतिशियत्य जज

05-11-2023

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। विप्रार्थी एकपक्षीय। प्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि विवादित आराजी में प्रार्थी/वादी की ओर से माफिक हिस्सेनुसार बंटवाड़ा करवाने का अनुतोष चाहा है, जो कि मूलवाद में साक्ष्य सबूतों के आधार पर तय होगा कि प्रार्थी राहत प्राप्त करने के हकदार है अथवा नहीं। लेकिन प्रथम द्विधता मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में बनता है, क्योंकि विवादित आराजी का विधिवत निस्तारण नहीं होने तक यदि दौराने विचारण वाद विवादित आराजी को लेकर पक्षकारान के बीच वाद-विवाद हो जाता है, तो प्रकरण को निस्तारण किए जाने में कानूनी पेचीदिगीया बड़ेगी तथा अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में बनती है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है। उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस नतीजे पर पहुंचा है कि प्रथम द्विधता मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनों ही बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में बनते हैं। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत साबित होने के कारण न्यायालय हाजा द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 17.11.2023 को मूलवाद के निर्णय तक कनफर्म किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

सहायक फलक्टर
(S.D.O.) बालोतस

05/11/2023